न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
011/2021 (रसद) (GCMS 2021/217)	21.06.2021	21.09.2021

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

मैसर्स देवनारायण रेस्टोरेन्ट, रोलाहेडा रोड चन्देरिया चित्तौड़गढ़। श्री किशन लाल मोबाईल नं. 9785239023

विपक्षी

उपस्थिति :– प्रवर्तन अधिकारी — पैरोकार सरकार
एक तरफा — विपक्षी

प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी हितेश जोशी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुखबिर की सूचना पर दिनांक 22.03.2021 को चन्देरिया में रोलाहेडा रोड स्थित मैसर्स देवनारायण रेस्टोरन्ट पर जाँच दल पहुँचा। जाँच दल द्वारा दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण मैसर्स देवनारायण रेस्टोरेन्ट पर पहुँचने पर मौके पर किशनलाल उपस्थित पाया गया। मौतबिरान की उपस्थिति में रेस्टोरन्ट का निरीक्षण करने पर पाया गया कि घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था। मौके पर किशन लाल द्वारा गैस सिलेण्डर से संबंधित आवश्यक दस्तावेज मांगने पर मौके पर प्रस्तुत नहीं किये गये। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आदेश 2000 का उल्लंघन पाये जाने पर मौके पर 1 घरेलू गैस सिलेण्डर कब्जे में लिया गया। मौके पर जब्तशुदा 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को गंगरार इण्डेन गैस सर्विस के हॉकर को बुलवाकर मौके पर ही तुलवाया गया। मौके पर अभिग्रहित 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को मैसर्स गंगरार इण्डेन गैस सर्विस गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ के प्रतिनिधि दिनेश कुमार ढोली पिता माधुलाल की सुपुर्दगी में दिया जाकर मौतबिरान के रुबरु हस्ताक्षर करवाये गये व निर्देशित भी किया गया की उक्त गैस

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

सिलेण्डर का अपने स्टॉक में इन्द्राज कर अपने गोदाम में सुरक्षित रखेंगे तथा वक्त आवश्यकता पडने पर प्रस्तुत करेंगे। मैसर्स देवनारायण रेस्टोरन्ट, रोलाहेडा रोड चन्देरिया का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय है। उक्त सिलेण्डर्स का वजन फर्द जप्ती के साथ पृथक् से तैयार कर संलग्न किया गया। इस प्रकार जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 20.07.2021 को विपक्षी अनुपस्थित रहा। दिनांक 07.09.2021 को विपक्षी के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई।

दिनांक 21.09.2021 को पैरोकार सरकार प्रवर्तन अधिकारी हाजिर आये एवं प्रकरण में बहस पत्रावली का निवेदन किया गया। इस पर हाजिर पैरोकार सरकार को एक तरफा सुना गया। हाजिर पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती हैं, जिसका व्यवसायिक अथवा अन्य कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है। दिनांक 22.03.2021 को विपक्षी की दुकान पर जांच करने पर विपक्षी के दुकान में विपक्षी के कब्जे में 01 घरेलू गैस सिलेण्डर अनाधिकृत पाए गए जिनका कोई दस्तावेज विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक/अन्य उपयोग करना पाया गया जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गैस सिलेण्डर मय गैस व अन्य सामग्री राजसात (Confiscate) किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली एक तरफा का चिंतन-मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विपक्षी की दुकान का मुआयना करने पर मौके पर विपक्षी की दुकान में विपक्षी के कब्जे में 01 घरेलू गैस सिलेण्डर अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाया गया तथा मौके पर उक्त गैस सिलेण्डरों एवं सामग्री के संबंध में वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। विपक्षी न्यायालय में भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है ऐसी स्थिति में पत्रावली पर विपक्षी की ओर से किसी भी प्रकार खण्डन रिकार्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों से अवैध गैस रिफलिंग कर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया, जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

दण्डनीय अपराध है। सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों का अपनी दुकान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विपक्षी से जब्त शुदा LPG गैस के घरेलू श्रेणी का कुल 01 घरेलू गैस सिलेण्डर जिसमें भरी हुई कुल 1.0 Kg. गैस राजसात (Confiscate) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तक निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 31.01.2020 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विपक्षी मैसर्स देवनारायण रेस्टोरेन्ट, रोलाहेडा रोड, चन्देरिया चित्तौड़गढ़ से दिनांक 22.03.2021 से जब्त शुदा LPG गैस के घरेलू श्रेणी का कुल 01 घरेलू गैस सिलेण्डर जिसमें भरी हुई कुल 1.0 Kg. गैस राजसात (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डरों एवं अन्य सामग्री के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **21.09.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़